

न्यायालय उपखाण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : मूलचन्द लूणिया {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 51/2020

51/2020

A2/1

1. सिकन्दर सिंह पुत्र नक्षत्र सिंह जाति जटसिख निवासी 32 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. इकबाल सिंह पुत्र नक्षत्र सिंह जाति जटसिख निवासी 32 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. करणवीर सिंह पुत्र सिकन्दर सिंह जाति जटसिख निवासी 32 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
4. अरविन्द सिंह पुत्र इकबाल सिंह जाति जटसिख निवासी 32 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।


- वादीगण-

बनाम

1. इकतर सिंह पुत्र नक्षत्र सिंह जाति जटसिख निवासी 25 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. मंगल सिंह पुत्र इकतर सिंह जाति जटसिख निवासी 25 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. बलकरण सिंह पुत्र इकतर सिंह जाति जटसिख निवासी 25 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
4. बोहड सिंह पुत्र जय सिंह जाति जटसिख निवासी 25 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
5. गुरदेव सिंह पुत्र जय सिंह जाति जटसिख निवासी 25 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
6. बलदेव सिंह पुत्र जय सिंह जाति जटसिख निवासी 25 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
7. सरदूल सिंह पुत्र जय सिंह जाति जटसिख निवासी 25 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीकरणापुर।

- प्रतिवादीगण-

1. श्री पलविन्द्र सिंह अधिवक्ता
2. श्री इन्द्रजीत सिंह अधिवक्ता
3. पैरोकार राज


(मूलचन्द लूणिया)
उपखाण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

-:वादीगण की ओर से:-

-:प्रतिवादी संख्या 1 ता 7:-

-:प्रतिवादी संख्या 8 की ओर से:-



51/2020
A2/2

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 91 आरटीए

--निर्णय--

दिनांक : 15/08/2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 2 एन की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 69 में कुल 10.879 है0 नहरी कृषि भूमि इकतर सिंह, इकवाल सिंह, बोहड सिंह, मंगल सिंह, सिकन्दर सिंह के नाम ,चक 25 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 22 में कुल 10.790 है0 नहरी कृषि भूमि इकवाल सिंह, गुरदेव सिंह, बलकरण सिंह, बलदेव सिंह, बोहड सिंह, मंगल सिंह, सरदूल सिंह, सिकन्दर सिंह के नाम , चक 25 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 03 में कुल 14.067 है0 नहरी कृषि भूमि इकतर सिंह, अरविन्द सिंह, करणवीर सिंह, गुरदेव सिंह, बलदेव सिंह, बोहड सिंह, सरदूल सिंह के नाम , चक 25 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 60 के मुरब्बा नं0 7 में कुल 0.456 है0 नहरी कृषि भूमि बोहड सिंह, सरदूल सिंह के नाम , चक 25 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 63 में कुल 5.451 है0 नहरी कृषि भूमि इकवाल सिंह, गुरदेव सिंह, बलकरण सिंह, बलदेव सिंह, मंगल सिंह, सिकन्दर सिंह के नाम , चक 27 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 9 में कुल 3.091 है0 नहरी कृषि भूमि अरविन्द सिंह, इकतर सिंह, करणवीर सिंह, गुरदेव सिंह, बलदेव सिंह, बोहड सिंह के नाम ,चक 27 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 16 के मुरब्बा नं0 16 में कुल 5.059 है0 नहरी कृषि भूमि गुरदेव सिंह, बलदेव सिंह, बोहड सिंह, सरदूल सिंह के नाम , चक 27 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 8 में कुल 5.058 है0 नहरी कृषि भूमि इकतर सिंह, कर्मजीत कौर, परमजीत कौर, रूपिन्द्रपाल सिंह के नाम , चक 27 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 7 में कुल 4.906 है0 नहरी कृषि भूमि अरविन्द सिंह व करणवीर सिंह के नाम , चक 30 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 22 में कुल 0.113 है0 नहरी कृषि भूमि अरविन्द सिंह इकतर सिंह, करणवीर सिंह, जय सिंह के नाम , चक 30 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 8 में कुल 2.403 है0 नहरी कृषि भूमि इकवाल सिंह, गुरदेव सिंह, बलकरण सिंह, बलदेव सिंह बोहड सिंह, मंगल सिंह, सरदूल सिंह सिकन्दर सिंह के नाम , चक 30 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 60 में कुल 3.289 है0 नहरी कृषि भूमि अरविन्द सिंह, करणवीर सिंह, बलदेव सिंह, मंगू



20/10
अधिकारी राजकोट
श्रीकरगपुर

सिंह उर्फ मंगल सिंह के नाम ,चक 30 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 37 में कुल 0.582 है0 नहरी कृषि भूमि गुरदेव सिंह के नाम 1/2 हिस्सा , चक 30 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 7 में कुल 6.325 है0 नहरी कृषि भूमि अरविन्द सिंह इकतर सिंह, करणवीर सिंह, गुरदेव सिंह, बलदेव सिंह, बोहड सिंह, सरदूल सिंह के नाम ,चक 30 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 101 में कुल 6.009 है0 नहरी कृषि भूमि अरविन्द सिंह इकबाल सिंह, करणवीर सिंह, गुरदेव सिंह, बलकरण सिंह, बलदेव सिंह, बोहड सिंह, सरदूल सिंह, सिकन्दर सिंह के नाम , चक 30 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 16 में कुल 3.162 है0 नहरी कृषि भूमि गुरदेव सिंह, बलदेव सिंह, बोहड सिंह, सरदूल सिंह के नाम , चक 30 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 119 में कुल 2.403 है0 नहरी कृषि भूमि गुरदेव सिंह, परमजीत कौर, बलदेव सिंह के नाम राजस्व अभिलेख में बतौर खातेदार दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है तथा वाद पत्र में वर्णित समस्त भूमि पक्षकारान को उनके पूर्वजो से प्राप्त हुयी है। सभी पक्षकार ने काशत की सहूलियत के लिये विवादित समस्त कृषि भूमि का काफी वर्षो पूर्व आपस में मौखिक बटवारा कर लिया था एवम उसी बटवारा के अनुसार सभी पक्षकारान अपने अपने हिस्सा मे आयी भूमि पर काबिज चले आ रहे है। प्रतिवादीगण को वादीगण शुरु से ही उक्त सम्पति मौखिक बटवारा के अनुसार एवम कब्जा काशत के अनुसार अपने अपने नाम दर्ज करवाने के लिये कहते आ रहे है, लेकिन प्रतिवादीगण हमेशा टाल मटोल करते आ रहे है। आज से 10 रोज पूर्व वादी ने प्रतिवादीगण के सम्पर्क कर उनको विवादित कृषि भूमि का नामान्तरण पारिवारिक सम्पति विभाजन के आधार पर अपने नाम दर्ज करवाने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ऐसा करने से स्पष्ट इनकार हो गये। यही वाद कारण है। विवादित कृषि भूमि वादीगण को प्रतिवादीगण से मौखिक विभाजन में चक 30 एफ में प्राप्त हुयी है और वादीगण उक्त सम्पति पर गत कई वर्षो से वेरोकटोक, शान्तिपूर्वक काबिज चला आ रहा है। इस कारण वादीगण उक्त सम्पति को अपने नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है। जिसकी घोषणा हेतु वादीगण उक्त दावा प्रस्तुत कर रहे है। तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर को बतौर लैण्ड होल्डर दावा मे पक्षकार बनाया गया है। वाद पत्र पूर्ण कोर्ट फीस पर,अन्दर मियाद पेश है। वाद पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है। अन्त में दावा पेश कर



5/1/2020

(सिकन्दर लूणिया)
उपस्थंड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

एफ के खाता संख्या 22 के मुरब्बा नं0 10, 13, 24 के कुल 10.790 है0 नहरी कृषि भूमि में से सिकन्दर सिंह के नाम दर्ज 899/5395 हिस्सा यानि 7 बीघा 2 बिस्वा में से 4 बीघा 3 बिस्वा का स्वामी बलकरण सिंह को घोषित किया जाकर उनके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जावे। चक 25 एफ के खाता संख्या 3 के मुरब्बा नं0 2, 14, 17, 25, 26, 27, 30 कुल 14.067 है0 में से अरविन्द सिंह के नाम दर्ज 2345/14067 हिस्सा यानि 9 बीघा 5 बिस्वा में से 5 बीघा 4 बिस्वा का स्वामी गुरदेव सिंह को व करणवीर सिंह के नाम दर्ज 2344/14067 यानि 9 बीघा 5 बिस्वा भूमि में से 5 बीघा 4 बिस्वा भूमि का स्वामी गुरदेव सिंह को घोषित किया जाकर उनके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जावे। इसी खाता में अरविन्द सिंह व करणवीर सिंह की शेष भूमि में से 8 बीघा 2 बिस्वा भूमि का स्वामी सरदूल सिंह को घोषित किया जाकर उनके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जावे। इसी प्रकार चक 27 एफ के खाता संख्या 7 के मुरब्बा नं0 16 व 24 में करणवीर सिंह के हिस्सा की भूमि में से 6 बिस्वा भूमि का स्वामी सरदूल सिंह को घोषित किया जाकर उनके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जावे। चक 30 एफ के खाता संख्या 8 के मुरब्बा नं0 43 में गुरदेव सिंह के नाम दर्ज 190/2403 हिस्सा यानि 15 बिस्वा, खाता संख्या 37 के मुरब्बा नं0 30 में गुरदेव सिंह के नाम दर्ज 0.582 है0 का आधा हिस्सा यानि 1 बीघा 3 बिस्वा, खाता संख्या 7 के मुरब्बा नं0 31 में गुरदेव सिंह के नाम दर्ज 48/575 हिस्सा यानि 2 बीघा 2 बिस्वा, खाता संख्या 101 के मुरब्बा नं0 19 में गुरदेव सिंह के नाम दर्ज 601/6009 यानि 2 बीघा 8 बिस्वा भूमि, खाता संख्या 16 के मुरब्बा नं0 40 में गुरदेव सिंह के नाम दर्ज 395/1581 हिस्सा यानि 3 बीघा 3 बिस्वा, खाता संख्या 119 के मुरब्बा नं0 35 के 8/89 यानि 17 बिस्वा इस प्रकार गुरदेव सिंह के हिस्सा की कुल 10 बीघा 8 बिस्वा नहरी कृषि भूमि का स्वामी अरविन्द सिंह व करणवीर सिंह को बहिस्सा बराबर घोषित किया जाकर उनके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जावे। चक 30 एफ के खाता संख्या 8 के मुरब्बा नं0 43 में सरदूल सिंह के नाम दर्ज 7/89 हिस्सा यानि 15 बिस्वा, खाता संख्या 7 के मुरब्बा नं0 31 में सरदूल सिंह के नाम दर्ज 23/275 हिस्सा यानि 2 बीघा 2 बिस्वा, खाता संख्या 101 के मुरब्बा नं 19 में सरदूल सिंह के नाम दर्ज 601/6009 हिस्सा यानि 2 बीघा 8 बिस्वा, खाता संख्या 16 के मुरब्बा नं0 40 में सरदूल सिंह के नाम दर्ज 791/3162 हिस्सा यानि 3 बीघा 2 बिस्वा कुल 8 बीघा 7 बिस्वा यानि 2.110 है0।



(मूलचंद लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भिकरणपर

नहरी कृषि भूमि का स्वामी अरविन्द सिंह व करणवीर सिंह को बहिस्सा बराबर को घोषित किया जाकर उनके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जावे। चक 30 एफ के खाता संख्या 8 के मुरब्बा नं0 43 में बलदेव सिंह के नाम दर्ज 190/2403 हिस्सा यानि 15 बिस्वा रकबा, खाता संख्या 60 के मुरब्बा नं0 30 में बलदेव सिंह के नाम दर्ज 412/3289 यानि 1 बीघा 12 बिस्वा, खाता संख्या 7 के मुरब्बा नं0 31 में बलदेव सिंह के नाम दर्ज 48/575 हिस्सा यानि 2 बीघा 2 बिस्वा, खाता संख्या 101 के मुरब्बा नं0 19 में बलदेव सिंह के हिस्सा की 601/6009 यानि 2 बीघा 7 बिस्वा एंव खाता संख्या 16 के मुरब्बा नं0 40 के बलेदव सिंह के नाम दर्ज 395/1581 हिस्सा यानि 3 बीघा 3 बिस्वा, खाता संख्या 119 के मुरब्बा नं0 35 में बलदेव सिंह के नाम दर्ज 1201/2403 हिस्सा यानि 4 बीघा 15 बिस्वा इस प्रकार कुल 14 बीघा 15 बिस्वा यानि 3.722 है0 नहरी कृषि भूमि में से 2.010 है0 यानि 7 बीघा 19 बिस्वा का स्वामी अरविन्द सिंह व शेष 1.710 है0 यानि 6 बीघा 15 बिस्वा का स्वामी इकवाल सिंह को घोषित किया जाकर उनके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जावे। चक 27 एफ के खाता संख्या 7 के मुरब्बा नं0 16, 17, 24 में अरविन्द सिंह के नाम दर्ज 2.453 है0 यानि 9 बीघा 14 बिस्वा में से 2.010 है0 यानि 7 बीघा 19 बिस्वा रकबा का स्वामी बलदेव सिंह को घोषित किया जाकर उनके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जावे। चक 25 एफ के खाता संख्या 22 के मुरब्बा नं0 10, 13, 24 में इकवाल सिंह के नाम दर्ज 1799/10790 है0 यानि 7 बीघा 2 बिस्वा में से 6 बीघा 15 बिस्वा यानि 1.707 है0 नहरी कृषि भूमि बलदेव सिंह को घोषित किया जाकर उनके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जावे। चक 30 एफ के खाता संख्या 8 के मुरब्बा नं0 43 में बोहड सिंह के नाम दर्ज 190/2403 हिस्सा यानि 15 बिस्वा रकबा, खाता संख्या 7 के मुरब्बा नं0 31 में बोहड सिंह के नाम दर्ज 48/575 हिस्सा यानि 2 बीघा 2 बिस्वा, खाता संख्या 101 के मुरब्बा नं0 19 में बोहड सिंह के नाम दर्ज 601/6009 यानि 2 बीघा 8 बिस्वा नहरी, खाता संख्या 16 के मुरब्बा नं0 40 में बोहड सिंह के नाम दर्ज 791/3162 हिस्सा यानि 3 बीघा 3 बिस्वा इस प्रकार बोहड सिंह की कुल 8 बीघा 8 बिस्वा नहरी कृषि भूमि का स्वामी करणवीर सिंह को घोषित किया जाकर उनके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जावे। चक 27 एफ के खाता संख्या 7 के मुरब्बा नं0 16, 17, 24 में करणवीर सिंह के नाम दर्ज 9 बीघा 14 बिस्वा यानि 2.453 है0 में से 8 बीघा 8 बिस्वा यानि 2.125 है0 नहरी कृषि भूमि का



स्वामी बोहड सिंह को घोषित किया जाकर उनके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 7 की ओर से अधिवक्ता श्री इन्द्रजीत सिंह उपस्थित आए। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 7 के द्वारा न्यायालय में उपस्थित आकर राजीनामा पेश किया। दोनो पक्षों की पहचान उनके अधिवक्तागण के द्वारा की गई। राजीनामा दोनो पक्षों को पढकर सुनाया गया दोनो पक्षों के द्वारा राजीनामा सुन व समझकर सही होना स्वीकार किया राजीनामा तस्दीक किया जाकर पत्रावली में सलग्न किया गया।

दोनो पक्षों के अधिवक्तागण के द्वारा उपस्थित आकर निवेदन किया गया कि प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादपत्र डिक्री किया जाता है तो हमें कोई एतराज नहीं है। इसलिए राजीनामा अनुसार वादपत्र डिक्री किया जावे।

दोनो पक्षों के अधिवक्तागण को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया दोनो पक्ष प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादपत्र डिक्री हेतु सहमत है। वादीगण का वादपत्र दोनो पक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार स्वीकार किया जाकर चक 2 एन की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 69 की कुल 3.755 हैक्टर, चक 25 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 3 की कुल 4.680 हैक्टर, खाता संख्या 22 की कुल 2.756 हैक्टर, चक 27 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 7 में कुल 4.213 हैक्टर, खाता संख्या 8 में कुल 0.417 हैक्टर, खाता संख्या 9 में कुल 0.485 हैक्टर, चक 30 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 7 की कुल 4.233 हैक्टर, खाता संख्या 8 की कुल 1.646 हैक्टर, खाता संख्या 16 की कुल 3.162 हैक्टर, खाता संख्या 22 में कुल 0.038 हैक्टर, खाता संख्या 37 में कुल 0.145 हैक्टर, खाता संख्या 60 में कुल 0.665 हैक्टर, खाता संख्या 101 में कुल 2.404 हैक्टर, खाता संख्या 119 में कुल 1.416 हैक्टर उक्त खातों में कुल 30.017 हैक्टर भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण को निम्नानुसार खातेदार घोषित किए जाने के आदेश दिए जाते हैं:-

1. चक 2 एन के खाता संख्या 69 के मुरब्बा नं0 6, 37, 48 मे कुल 10.879 है0 नहरी भूमि में से इकबाल सिंह के नाम दर्ज 113/777 हिस्सा यानि 6 बीघा 5 बिस्वा नहरी कृषि भूमि में से 2 बीघा 15 बिस्वा यानि 0.695 है0 नहरी कृषि भूमि का स्वामी मंगल सिंह को घोषित किया जाकर उक्त भूमि उनके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज की जावे।
2. चक 2 एन के खाता संख्या 69 में सिकन्दर सिंह के नाम दर्ज 47/147 हिस्सा यानि 13 बीघा 15 बिस्वा में से 8 बीघा 10 बिस्वा यानि 2.150 है0 नहरी कृषि भूमि का स्वामी इकतर सिंह को घोषित किया जाकर उक्त भूमि उनके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज की जावे।



(भूलवन्द लुणिया)
उपसंगड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकृष्णापुर

3. चक 2 एन के खाता संख्या 69 में बोहड सिंह के नाम दर्ज 664/5439 यानि 5 बीघा 5 बिस्वा में से 3 बीघा 12 बिस्वा में से 0.910 है0 नहरी कृषि भूमि का स्वामी इकतर सिंह को घोषित किया जाकर उक्त भूमि उनके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज की जावे।
4. चक 25 एफ के खाता संख्या 3 के मुरब्बा नं0 2, 14, 17, 25, 26, 27, 30 कुल 14.067 है0 में से अरविन्द सिंह के नाम दर्ज 2345/14067 हिस्सा यानि 9 बीघा 5 बिस्वा में से 5 बीघा 4 बिस्वा यानि 1.315 है0 का स्वामी गुरदेव सिंह को घोषित किया जाकर उक्त भूमि उनके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज की जावे।
5. चक 25 एफ के खाता संख्या 3 में करणवीर सिंह के नाम दर्ज 2344/14067 यानि 9 बीघा 5 बिस्वा भूमि में से 5 बीघा 4 बिस्वा यानि 1.315 है0 भूमि का स्वामी गुरदेव सिंह को घोषित किया जाकर उक्त भूमि उनके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज की जावे।
6. चक 25 एफ के खाता संख्या 3 में अरविन्द सिंह के नाम दर्ज 1.025 है0 भूमि का स्वामी सरदूल सिंह को घोषित किया जाकर उक्त भूमि उनके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज की जावे।
7. चक 25 एफ के खाता संख्या 3 में करणवीर सिंह के नाम दर्ज 1.025 है0 भूमि का स्वामी सरदूल सिंह को घोषित किया जाकर उक्त भूमि उनके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज की जावे।
8. चक 25 एफ के खाता संख्या 22 के मुरब्बा नं0 10, 13, 24 के कुल 10.790 है0 नहरी कृषि भूमि में से सिकन्दर सिंह के नाम दर्ज 899/5395 हिस्सा यानि 7 बीघा 2 बिस्वा में से 4 बीघा 3 बिस्वा यानि 1.049 है0 का स्वामी बलकरण सिंह को घोषित किया जाकर उक्त भूमि उनके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज की जावे।
9. चक 25 एफ के खाता संख्या 22 के मुरब्बा नं0 10, 13, 24 में इकवाल सिंह के नाम दर्ज 1799/10790 है0 यानि 7 बीघा 2 बिस्वा में से 6 बीघा 15 बिस्वा यानि 1.707 है0 नहरी कृषि भूमि बलदेव सिंह को घोषित किया जाकर उक्त भूमि उनके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज की जावे।
10. चक 27 एफ के खाता संख्या 7 के मुरब्बा नं0 16 व 24 में करणवीर सिंह के हिस्सा की भूमि में से 6 बिस्वा यानि 0.076 है0 भूमि का स्वामी सरदूल सिंह को घोषित किया जाकर उक्त भूमि उनके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज की जावे।
11. चक 27 एफ के खाता संख्या 7 के मुरब्बा नं0 16, 17, 24 में अरविन्द सिंह के नाम दर्ज 2.453 है0 यानि 9 बीघा 14 बिस्वा में से 2.012 है0 यानि 7 बीघा 19 बिस्वा रकबा का स्वामी बलदेव सिंह को घोषित किया जाकर उक्त भूमि उनके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज की जावे।
12. चक 27 एफ के खाता संख्या 7 के मुरब्बा नं0 16, 17, 24 में करणवीर सिंह के नाम दर्ज 9 बीघा 14 बिस्वा यानि 2.453 है0 में से 8 बीघा 8 बिस्वा यानि 2.125 है0 नहरी कृषि भूमि का स्वामी बोहड सिंह को घोषित किया जाकर उनके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जावे।
13. चक 27 एफ के खाता संख्या 8 के मुरब्बा नं0 24 , 28 में कुल 5.058 है0 नहरी कृषि भूमि में इकतर सिंह के नाम दर्ज 139/1686 हिस्सा यानि 1 बीघा 13 बिस्वा यानि 0.417 है0 भूमि का स्वामी बोहड सिंह को घोषित किया जाकर उक्त भूमि उनके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज की जावे।



(मूलचन्द लूणिया)
उपस्युड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

14. चक 27 एफ के खाता संख्या 9 के मुरब्बा नं0 20, 21, 41 में कुल 3.091 है0 में से इकतर सिंह के नाम दर्ज 485/3091 हिस्सा यानि 1 बीघा 19 बिस्वा यानि 0.485 है0 नहरी कृषि भूमि का स्वामी बोहड सिंह को घोषित किया जाकर उक्त भूमि उनके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज की जावे।
15. चक 30 एफ के खाता संख्या 7 के मुरब्बा नं0 31 में बोहड सिंह के नाम दर्ज 48/575 हिस्सा यानि 2 बीघा 2 बिस्वा यानि 0.528 है0 का स्वामी करणवीर सिंह को घोषित किया जावे।
16. चक 30 एफ के खाता संख्या 7 के मुरब्बा नं0 31 में बलदेव सिंह के नाम दर्ज 48/575 हिस्सा यानि 2 बीघा 2 बिस्वा 0.531 है0 का स्वामी अरविन्द सिंह को घोषित किया जाकर उक्त भूमि उनके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज की जावे।
17. चक 30 एफ के खाता संख्या 7 के मुरब्बा नं0 31 में सरदूल सिंह के नाम दर्ज 23/275 हिस्सा यानि 2 बीघा 2 बिस्वा यानि 0.531 है0 में अरविन्द सिंह को 0.266 है0 व करणवीर सिंह को 0.265 है0 का स्वामी घोषित किया जाकर उक्त भूमि उनके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज की जावे।
18. चक 30 एफ के खाता संख्या 7 के मुरब्बा नं0 31 में गुरदेव सिंह के नाम दर्ज 48/575 हिस्सा यानि 2 बीघा 2 बिस्वा यानि 0.531 है0 में अरविन्द सिंह को 0.266 है0 व करणवीर सिंह को 0.265 है0 का स्वामी घोषित किया जाकर उक्त भूमि उनके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज की जावे।
19. चक 30 एफ के खाता संख्या 7 के मुरब्बा नं0 31 के कुल 6.325 है0 में से इकतर सिंह के नाम दर्ज 192/575 हिस्सा यानि 8 बीघा 7 बिस्वा यानि 2.112 है0 नहरी कृषि भूमि का स्वामी सिकन्दर सिंह को घोषित किया जाकर उक्त भूमि उनके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज की जावे।
20. चक 30 एफ के खाता संख्या 8 के मुरब्बा नं0 43 के 2.403 है0 में से मंगल सिंह के नाम दर्ज 443/2403 हिस्सा यानि 1 बीघा 15 बिस्वा यानि 0.443 है0 भूमि का स्वामी इकवाल सिंह को घोषित किया जाकर उक्त भूमि उनके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज की जावे।
21. चक 30 एफ के खाता संख्या 8 में मुरब्बा नं0 43 के 2.403 है0 में से बलकरण सिंह के नाम 443/2403 हिस्सा यानि 1 बीघा 15 बिस्वा यानि 0.443 है0 का स्वामी सिकन्दर सिंह को घोषित किया जाकर उक्त भूमि उनके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज की जावे।
22. चक 30 एफ के खाता संख्या 8 के मुरब्बा नं0 43 में गुरदेव सिंह के नाम दर्ज 190/2403 हिस्सा यानि 15 बिस्वा यानि 0.190 है0 भूमि में अरविन्द सिंह को 0.095 है0 व करणवीर सिंह को 0.095 है0 का स्वामी घोषित किया जाकर उक्त भूमि उनके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज की जावे।
23. चक 30 एफ के खाता संख्या 8 के मुरब्बा नं0 43 में सरदूल सिंह के नाम दर्ज 7/89 हिस्सा यानि 15 बिस्वा यानि 0.190 है0 में से अरविन्द सिंह को 0.095 है0 व करणवीर सिंह को 0.095 है0 का स्वामी घोषित किया जाकर उक्त भूमि उनके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज की जावे।
24. चक 30 एफ के खाता संख्या 8 के मुरब्बा नं0 43 में बलदेव सिंह के नाम दर्ज 190/2403 हिस्सा यानि 15 बिस्वा यानि 0.190 है0 भूमि का अरविन्द सिंह को स्वामी घोषित किया जाकर उक्त भूमि उनके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज की जावे।



(504)
(मूलबन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भोकरापुर

25. चक 30 एफ के खाता संख्या 8 के मुरब्बा नं0 43 में बोहड सिंह के नाम दर्ज 190/2403 हिस्सा यानि 15 बिस्वा यानि 0.190 है0 का स्वामी करणवीर सिंह को घोषित किया जाकर उक्त भूमि उनके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज की जावे।
26. चक 30 एफ के खाता संख्या 16 के मुरब्बा नं0 40 में बोहड सिंह के नाम दर्ज 791/3162 हिस्सा यानि 3 बीघा 3 बिस्वा यानि 0.791 है0 का स्वामी करणवीर सिंह को घोषित किया जाकर उक्त भूमि उनके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज की जावे।
27. चक 30 एफ के खाता संख्या 16 के मुरब्बा नं0 40 के बलेदव सिंह के नाम दर्ज 395/1581 हिस्सा यानि 3 बीघा 3 बिस्वा यानि 0.790 है0 भूमि में अरविन्द सिंह को 0.278 है0 का स्वामी व इकबाल सिंह को 0.512 है0 का स्वामी घोषित किया जाकर उक्त भूमि उनके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज की जावे।
28. चक 30 एफ के खाता संख्या 16 के मुरब्बा नं0 40 में सरदूल सिंह के नाम दर्ज 791/3162 हिस्सा यानि 3 बीघा 2 बिस्वा यानि 0.791 है0 में अरविन्द सिंह को 0.396 है0 व करणवीर सिंह को 0.395 है0 का स्वामी घोषित किया जाकर उक्त भूमि उनके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज की जावे।
29. चक 30 एफ के खाता संख्या 16 के मुरब्बा नं0 40 में गुरदेव सिंह के नाम दर्ज 395/1581 हिस्सा यानि 3 बीघा 3 बिस्वा यानि 0.790 है0 में अरविन्द सिंह को 0.395 है0 व करणवीर सिंह को 0.395 है0 का स्वामी घोषित किया जाकर उक्त भूमि उनके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज की जावे।
30. चक 30 एफ के खाता संख्या 22 के मुरब्बा नं0 26 के कुल 0.113 है0 नहरी कृषि भूमि में से इकतर सिंह के नाम दर्ज 38/113 हिस्सा यानि 3 बिस्वा यानि 0.038 है0 भूमि का स्वामी सिकन्दर को घोषित किया जाकर उक्त भूमि उनके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज की जावे।
31. चक 30 एफ के खाता संख्या 37 के मुरब्बा नं0 30 में गुरदेव सिंह के नाम दर्ज 0.291 है0 में से अरविन्द सिंह को 0.145 है0 व करणवीर सिंह को 0.146 है0 का स्वामी घोषित किया जाकर उक्त भूमि उनके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज की जावे।
32. चक 30 एफ के खाता संख्या 60 के मुरब्बा नं0 30 में बलदेव सिंह के नाम दर्ज 412/3289 यानि 1 बीघा 12 बिस्वा यानि 0.412 है0 भूमि का स्वामी अरविन्द सिंह को घोषित किया जाकर उक्त भूमि उनके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज की जावे।
33. चक 30 एफ के खाता संख्या 60 के मुरब्बा नं0 30 के कुल 3.289 में से मंगू सिंह उर्फ मंगल सिंह के नाम दर्ज 1/13 हिस्सा यानि 1 बीघा यानि 0.253 है0 कृषि भूमि का स्वामी इकबाल सिंह को घोषित किया जाकर उक्त भूमि उनके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज की जावे।
34. चक 30 एफ खाता संख्या 101 के मुरब्बा नं0 19 के कुल 6.009 है0 में से बलकरण सिंह के नाम दर्ज 601/6009 यानि 2 बीघा 8 बिस्वा यानि 0.601 है0 नहरी कृषि भूमि का स्वामी का सिकन्दर सिंह को घोषित किया जाकर उक्त भूमि उनके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज की जावे।
35. चक 30 एफ के खाता संख्या 101 के मुरब्बा नं0 19 में गुरदेव सिंह के नाम दर्ज 601/6009 यानि 2 बीघा 8 बिस्वा यानि 0.601 है0 भूमि में अरविन्द सिंह को 0.300 है0 व करणवीर सिंह को 0.301 है0 भूमि का स्वामी घोषित किया जाकर उक्त भूमि उनके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज की जावे।



(सुनील चन्द लुण्ठिया)

उपस्थान्ड अधिकारी (राजस्व)


श्रीकरणपुर

36. चक 30 एफ के खाता संख्या 101 के मुरब्बा नं 19 में सरदूल सिंह के नाम दर्ज 601/6009 हिस्सा यानि 2 बीघा 8 बिस्वा यानि 0.601 है0 भूमि में अरविन्द सिंह को 0.300 व करणवीर सिंह को 0.301 है0 का स्वामी घोषित किया जाकर उक्त भूमि उनके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज की जावे।
37. चक 30 एफ के खाता संख्या 101 के मुरब्बा नं0 19 में बलदेव सिंह के हिस्सा की 601/6009 यानि 2 बीघा 7 बिस्वा यानि 0.601 है0 भूमि का स्वामी अरविन्द सिंह को घोषित किया जाकर उक्त भूमि उनके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज की जावे।
38. चक 30 एफ के खाता संख्या 101 के मुरब्बा नं0 19 में बोहड सिंह के नाम दर्ज 601/6009 यानि 2 बीघा 8 बिस्वा यानि 0.601 है0 का स्वामी करणवीर सिंह को घोषित किया जाकर उक्त भूमि उनके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज की जावे।
39. चक 30 एफ के खाता संख्या 119 के मुरब्बा नं0 35 में गुरदेव सिंह के नाम दर्ज 8/89 यानि 17 बिस्वा यानि 0.215 है0 में अरविन्द सिंह को 0.107 है0 व करणवीर सिंह को 0.108 है0 का स्वामी घोषित किया जाकर उक्त भूमि उनके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज की जावे।
40. चक 30 एफ के खाता संख्या 119 के मुरब्बा नं0 35 में बलदेव सिंह के नाम दर्ज 1201/2403 हिस्सा यानि 4 बीघा 15 बिस्वा यानि 1.201 है0 का स्वामी इकवाल सिंह को घोषित किया जाकर उक्त भूमि उनके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज की जावे।

उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। उक्त खातों के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे, खातेदार द्वारा आहरित ऋण उन्हें विभाजन में प्राप्त भूमि पर अन्तरित होकर उस खाता में रहन दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार राजस्व श्री करणपुर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 15/07/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




{मूलचन्द लूणिया आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
श्रीकरणपुर